भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

File No. Tour Programme/1/VC/2018/RU-III

6th floor, B Wing Loknayak Bhawan,
Khan Market,
New Delhi-110003
Dated: 08th March, 2018

To,

1. प्रमुख सचिव,
जनजातीय विकास विभाग,
मध्य प्रदेश शासन,
भोपाल (मध्य प्रदेश)

2. आयुक्त,
जनजातीय विकास विभाग,
मध्य प्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन, भोपाल, (मध्य प्रदेश)

3. संचालक,
आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं,
सतपुड़ा भवन, भोपाल, (मध्य प्रदेश)

4. जिला कलेक्टर,
जिला– मंदसौर
(मध्य प्रदेश)

5. जिला कलेक्टर,
जिला नीमच,
(मध्य प्रदेश

6. जिला कलेक्टर,
जिला रतलाम,
(मध्य प्रदेश)

विषयः सुश्री अनुसुईया उईके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली से आयोग के दल के दिनांक 25–09–2017 से 26–09–2017 तक मध्य प्रदेश राज्य के रतलाम, मंदसौर एवं नीमच जिलों का दौरा।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर कथन है कि सुश्री अनुसुईया उईके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के दिनांक 25–09–2017 से 26–09–2017 तक मध्य प्रदेश राज्य के रतलाम, मंदसौर एवं नीमच जिलों के दौरे की रिपोर्ट प्रति संलग्न करते हुये अनुरोध है कि प्रवास रिपोर्ट पर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें एवं कार्रवाई रिपोर्ट एक महीने के भीतर भिजवाने का कृपा करें।

भवदीय,

(आर के दुबे)
सहायक निदेशक

Copy for information and necessary action to:

1. NIC, NCST uploaded on the web site.

Tel.:011-24657271, 011-24615012, 011-24624714, Fax: 011-24604689, 011-24624191

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल

सुश्री अनुसूईया उईके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के नेतृत्व में आयोग के दल के दिनांक 25–09–2017 से 26–09–2017 तक मध्यप्रदेश राज्य के रतलाम, मंदसौर एवं नीमच जिलों के दौरे की रिपोर्ट

आयोग मुख्यालय के वायरलेस संदेश क्र. टी.पी/वी.सी/एन.सी.एस.टी/2017/26 दिनांक 19–09–2017 के क्रम में आयोग के एक दल ने दिनांक 25–09–2017 से 26–09–2017 तक मध्यप्रदेश राज्य के रतलाम, मंदसौर एवं नीमच जिलों का दौरा किया। दल का नेतृत्व सुश्री अनुसूईया उईके माननीयाउपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली ने किया और उनके साथ श्रीमती के.डी. बंसौर, निदेशक, सुश्री दीपिका खन्ना अनुसंधान अधिकारी भी थीं। यह दौरा तीनों जिलों में केन्द्र एवं राज्य–शासन द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए संचालित योजनाओं की वस्तुस्थिति जानने के लिए किया गया। प्रवास के दौरान माननीया उपाध्यक्ष महोदया ने अनुसूचित जनजातियों के संगठनों के पदाधिकारियों से मुलाकात कर जिले में अनुसूचित जनजातियों के विकास संबंधी जानकारी ली तथा जिले की निवासित अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं से अवगत हुई। उन्होंने दल के साथ अनुसूचित जनजातियों के विद्यालय एवं छात्रावासोंका निरीक्षण किया तथा जिले के कलेक्टर एवं अन्य अधिकारियों के साथ जिला–स्तरीय समीक्षा बैठक की।

1. दिनांक 25–09–2017 को जिला–रतलाम से सबंधित दौरे की रिपोर्ट

माननीया उपाध्यक्ष महोदया द्वारा दिए गए निर्देशानुसार सर्वप्रथम जिले के अनुसूचित जनजाति संगठनों के साथ बैठक ली गई। जिसमें उन्होंने जिला रतलाम से आए हुए विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों के साथ जिले के विकास पर चर्चा की। तत्पश्चात एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, सैलाना जिला– रतलाम का निरीक्षण किया गया।

माननीया उपाध्यक्ष महोदया द्वारा जिला–रतलाम की महापौर तथा अनुसूचित जनजातियों के संगठनों के प्रतिनिधियों से सौजन्य भेंट

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusulya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India

1.1 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, सैलाना जिला– रतलाम

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, सैलाना जिला– रतलाम का निरीक्षण करती हुई माननीया उपाध्यक्ष

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, सैलाना में 420 सीटस्वीकृत हैं। जिसमें कक्षा 6वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है। वर्तमान में कुल420 विद्यार्थी में से 280 विद्यार्थी अध्ययनरत है। हिन्दी माध्यम के 258 तथा अंग्रेजी माध्यम के 22 विद्यार्थी, 140 सीट रिक्त हैं। 280 विद्यार्थियों में 143 छात्र हैं एवं 137 छात्रायें हैं। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की प्राचार्या श्रीमती कल्पना चौहान हैं, बालिकाओं की अधीक्षिका श्रीमती कँवरी मचार एवं अधीक्षक श्री भागचंद्र जनौद हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदया ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के परिसर का भ्रमण कर निरीक्षण किया तथा विद्यार्थियों से उनकी समस्याएँ सुनी। विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय एवं छात्रावास से संबंधित विभिन्न समस्याओं से महोदया को अवगत कराया। मुख्य समस्याएँ निम्नानुसार है:–

1.1.1 विद्यालय से संबंधित

(i) विद्यालय में विज्ञान एवं गणित विषय के शिक्षको का पद रिक्त हैं दोनों ही मुख्य विषय हैं जिनके पद विगत 4 वर्षों से रिक्त हैं।

(ii) विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम के 22 विद्यार्थियों को भी हिन्दी माध्यम से ही पढ़ाया जा रहा है।

(iii) विद्यालय में स्वच्छता का अभाव है। विद्यालय परिसर में वर्षा के पश्चात जंगली झाड़ियाँ पैदा हो गई थीं, जिसके कारण साँप, बिच्छु जैसे जहरीले जानवर आते हैं, जिससे कि विद्यार्थियों की जान को भी खतरा हो सकता है।

(iv) कम्प्यूटर की संख्या विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में कम है।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusulya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India

(v) विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए नहीं ले जाया जाता है।

(vi) खेलकूद के मैदान खेलने योग्य नहीं हैं एवं विद्यालय द्वारा खेलकूद की सामग्री नहीं दी जाती है। यदि कभी फुटबाल अथवा बैडमिंटन का रैकिट खेलने को दिया जाता है तो उसे तुरन्त ही वापस ले लिया जाता है।

(vii) छात्राओं ने बताया कि उन्हें कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की छात्रवृत्ति नहीं मिली है।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, सैलाना जिला– रतलाम में विद्यार्थियों को संबोधित करती हुई माननीय उपाध्यक्ष

1.1.2 छात्रावास से सबंधित

(i) छात्रावास में भी स्वच्छता नहीं रखी जाती है। छात्रावास के शौचालय भी अस्वच्छ तथा अस्वास्थ्यकर स्थिति में हैं।

(ii) बालिका छात्रावास में 2 भवन हैं जिनमें रात में छात्राओं के लिए 1 पुरुष चौकीदार की व्यवस्था की गई हैं। बालिका छात्रावास में महिला अधीक्षिका का रहना आवश्यक हैं किन्तु अधीक्षिका का घर छात्रावास से 1 कि.मी की दूरी पर स्थित है। जिसके कारण छात्राएं असुरक्षित अनुभव करती हैं।

(iii) छात्रावास में मेडिकल फर्स्ट एड की व्यवस्था नहीं है। छात्रावास से चिकित्सालय 2–3 कि.मी. दूर है। विद्यार्थियों के अस्वस्थ होने पर उन्हें चिकित्सालय तक ले जाने के लिए उनके अभिभावकों को बुलाया जाता है। कभी–कभी अधिक बीमार होने पर अधीक्षक की मोटर साईकिल पर बैठकर अस्पताल तक पहुँचते हैं।

(iv) छात्रावास में फोन करने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(v) वर्ष 2016–17 में स्कूल बैग नहीं दिए गए। जिन बच्चों को बैग मिले है उसकी गुणवत्ता भी अच्छी नहीं बताई गई।

(vi) पिछले 6 वर्षों से ट्रेक सूट का भी वितरण नहीं किया गया है। 12वीं के छात्रों ने बताया कि आयोग के आने से पूर्व ही उन्हें ट्रेक सूट दिए गए हैं।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

(vii) छात्रावास में भोजन की व्यवस्था शासन द्वार दिए गए भोजन चार्ट के अनुसार नहीं है। विद्यार्थियों ने बताया कि उन्हें भोजन में दाल–चावल रोटी ही प्राप्त होती है। कभी–कभी सब्जी मिलती है। दूध नही मिलता है। मैन्यू चार्ट भी छात्रावास में नही लगाया गया है।

(viii) विद्यार्थियों ने बताया कि उन्हें हाउस–वाईस टी–शर्ट नहीं दी जाती है।

(ix) विद्यार्थियों को अपने घर फोन करने की सुविधा नहीं है। उनकी यह माँग है कि सप्ताह में 1 बार उन्हें अपने परिवार–जनों से फोन पर बात करने की सुविधा दी जाना चाहिए।

(x) छात्राओं ने यह भी बताया कि उनके बाल्य–काल के बाद हार्मोन परिवर्तन से जुड़ी प्राकृतिक आवश्कताओं का भी ध्यान अधीक्षिका द्वारा नहीं रख जाता है। उन्हें आवश्यक सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जाती है। छोटी बालिकाओं को भी इस परिवर्तन के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, सैलाना जिला– रतलाम में माननीया उपाध्यक्ष के सबोधंन को सुनते हुए विद्यार्थी

सैलाना के जनप्रतिनिधि ने माननीया उपाध्यक्ष महोदया को बताया कि 3–4 वर्ष पूर्व तक सैलाना एकलव्य विद्यालय के छात्र–छात्राएंमेधावी श्रेणी में आगे रहते थे तथा कई छात्र–छात्राओं का मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कॉलेजों में भी चयन हुआ था, किन्तु वर्तमान में पढ़ाई का स्तर निरन्तर गिरने से सैलाना एकलव्य विद्यालय की उक्त उपलब्धि निरंक हो गई है। यही कारण है कि एकलव्य विद्यालय में 140 सीट रिक्त हैं। माननीया उपाध्यक्ष महोदया ने विद्यार्थियों तथा जन–प्रतिनिधियों से उपरोक्त चर्चानुसार एकलव्य विद्यालय में पाई गई अनियमितताओं की चर्चा प्राचार्या एवं अधीक्षकों से की। उन्होंने सभी अनियमितताओं को शीघ्रातिशीघ्र दूर करने के लिए कहा।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, सैलाना जिला– रतलाम में माननीया उपाध्यक्ष का स्वागत करते हुए जनप्रतिनिधि

1.2 जिला–रतलाम में कलेक्टर एवं प्रमुख जिला–अधिकारियों के साथ की गई समीक्षा बैठक का विवरण :

माननीया उपाध्यक्ष महोदयाने दिनांक 25–09–2017 को अपरान्ह 01:00 बजे रतलाम सर्किट हाउस में श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल, कलेक्टर तथा अन्य जिला प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठक ली। पुलिस अधीक्षक रतलाम इस बैठक में अनुपस्थित थे।सर्वप्रथम कलेक्टर महोदया ने माननीया उपाध्यक्ष महोदया का स्वागत एवं परिचय उपस्थित अधिकारियों से करवाया। सभी उपस्थित अधिकारियों ने अपना परिचय दिया। कलेक्टर ने बताया कि रतलाम जिले में लगभग 25 प्रतिशत लोग अनुसूचित जनजाति के हैं।माननीया उपाध्यक्ष महोदयाने जिला समीक्षा बैठक की प्रश्नावली में दिए गए बिदुओं पर बिंदुवार चर्चा की।

1.2.1शिक्षा :

माननीया उपाध्यक्ष महोदया ने कहा कि जिले में प्राथमिक स्तर पर नामांकन का प्रतिशत 99.92 हैं किन्तु ड्रॉपआउट का प्रतिशत प्राथमिक स्तर पर 57.69, माध्यमिक स्तर पर 51.70 तथा हाई स्कूल का 62.20 प्रतिशत है। यह प्रतिशत दर्शा रहा है कि जिले में अनुसूचित जनजाति की शिक्षा का स्तर सामान्य स्तर से अत्यन्त कम है। इसके क्या कारण हैं? कलेक्टर महोदया ने बताया कि इसका प्रमुख कारण मजदूरी के लिए परिवार का प्रवर्जन है। रतलाम से बहुत से अनुसूचित जनजाति के लोग मजदूरी करने गुजरात चले जाते है जिसके कारण बच्चे अपनी शाला तक नहीं पहुँच पाते हैं। शासन द्वारा सर्व शिक्षा अभियान एवं प्रतिभा पर्व की योजनायें संचालित की जा रही हैं। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि जिले में शिक्षकों के ज्ञान का स्तर भी इस पलायन का कारण है। विगत दिनों शिक्षकों की एक परीक्षा ली गई थी,

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

जिसमें 23 शिक्षकों में से केवल 6 ही उत्तीर्ण हुए थे। कलेक्टर ने आठवीं कक्षा तक विद्यार्थियों को अनुत्तीर्ण नहीं करने की शासन की योजना को भी हाई स्कूल में अधिक ड्रॉपआउट होने का कारण बताया।

सर्किट हाऊस रतलाम में जिलास्तरीय समीक्षा बैठक लेते हुए कलेक्टर के साथ माननीया उपाध्यक्ष

1.2.1.2माननीयाउपाध्यक्ष महोदया ने छात्रावासों की जानकारी चाही। जिला संयोजक, अनुसूचित जनजाति कल्याण ने बताया कि वर्तमान में हाई स्कूल तक लड़कों के 30 एवं लड़कियों के 10छात्रावास हैं एवं कॉलेज स्तर के 4 लड़कों एवं 3 लड़कियों के छात्रावास हैं। रतलाम जिले में छात्रावास की संख्या बढ़ाने की माँग शासन को की गई है। जिला अधिकारी ने बताया कि हमने माँग की है या तो नए छात्रावास खोले जाएँ या स्वीकृत विद्यार्थियों की सीट की संख्या बढ़ाई जाए। प्रत्येक बालक को 1055 तथा बालिका को 1100 प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है। जिसमेंसे 10 प्रतिशत राशि उनके खाते में जमा की जाती है। माननीया उपाध्यक्ष महोदया ने पूछा कि छात्रावास में रहने वाले बच्चों को अपनी मर्जी के अनुसार व्यय करने की आज्ञा है अथवा नहीं? उन्होने अपने महाराष्ट्र राज्य के दौरे का अनुभव बताया कि महाराष्ट्र राज्य में छात्रावास के बच्चों को अपने स्कूल बैग, स्टेशनरी आदि सामान को खरीदने के लिए रुपये दे दिए जाते हैं। विद्यार्थियों को उसकी रसीद विद्यालय में देनी होती हैं। उन्होने यह भी बताया कि छात्रावास के मैस का प्रबंधन भी छात्र–छात्राएं मिलकर करते हैं। उनके द्वारा एक समिति गठित की गई है जो भोजन सूची के अनुसार सामान का कय करते हैं। इस प्रकार छात्र–छात्राओं को बाजार से सामान लाने एवं रुपये को व्यय करने का अनुभव मिलता है जो उनके भविष्य के जीवन के लिए उपयोगी सिद्व होगा।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

कलेक्टर महोदया ने उसी समय जिला संयोजक श्री डामोर को कहा कि यह एक अच्छा प्रयास है। रतलाम जिले के छात्रावासों में तथा एकलव्य विद्यालय केविद्यार्थियों को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। उन्हें रतलाम शहर में आकर अपनी अनुकूल वस्तुओं को खरीदने का मौका देने हेतु आवश्यक निर्देश दें। **(कार्यवाई–कलेक्टर, रतलाम)**

1.2.1.3माननीयाउपाध्यक्ष महोदया ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, सैलाना में किए गए निरीक्षण की भी जानकारी कलेक्टर महोदया को दी। उपरोक्त **पैरा क्रं 1.1 के सभी बिंदुओं पर कलेक्टर को बताया। कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि सभी शिकायतें शीघ्र दूर की जाएगी। (कार्यवाई–कलेक्टर, रतलाम)**

1.2.1.4माननीया उपाध्यक्ष महोदया ने माँग संख्या 275 के अंतर्गत जिला शासन को प्राप्त होने वाली राशि के बारे में पूछने पर कलेक्टर ने बताया कि यह राशि अभी रतलाम जिले को प्राप्त नहीं हुई है।

1.2.2 कृषि

सहायक कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि विभाग, ने यह बताया कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों की कुल संख्या 74528 है, अधिकतर कृषक सोयाबीन, मक्का, कपास, अरहर, मूंग, उड़द, गेहूं एवं चने की फसल लेते हैं। कुल 64807 भूमिहीन कृषि श्रमिक है। माननीय उपाध्यक्ष महोदया ने पूछा कि क्या वे कृषि अनुसंधान केन्द्रों से उन्नत फसल हेतु किसानों को प्रशिक्षण दिलाते है। कृषि अधिकारी ने बताया कि वे समय–समय पर प्रशिक्षण स्वयं–सेवी संगठनों द्वारा दिलवाते हैं।

1.2.3 रोजगार

1.2.3.1 जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि जिले में कुल 3819 पुरुष 1131 महिलाएँबेरोजगार हैं जिनका नाम रोजगार कार्यालय में दर्ज है। इनमें से कुशल 7129, अकुशल 944, कला स्नातक 535, विज्ञान स्नातक 161 एवं तकनीकी रुप से योग्य 217 है। उन्होने यह भी बताया कि कुछ समय पूर्व रोजगार मेला लगाया गया था जिसमें अनुसूचित जनजाति के लगभग 56 लोगों को रोजगार दिलाया गया तथा 57 लोगों को कैरियर काउँसलिंग दी गई। कलेक्टर ने आयोग को यह भी अवगत कराया किइसजिले में रोजगार छोड़कर होम सिकनेस के कारण वापस आने वाले लोगों की संख्या काफी अधिक हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदया ने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल योजना के अंतर्गत जिले के बेराजगारों को रोजगार दिलाने का प्रयास करें। रतलाम जिले में उन स्वयं–सेवी संगठनों की खोज की जाए जो अनुसूचित जनजातियों को रोजगार उपलब्ध कराने में मदद करते हैं।उनके सहयोग से रोजगार दिलाने का प्रयास किया जाए। कलेक्टर ने बताया कि मैपसेट के माध्यम से कुछ एन.जी.ओ आने वाले थेउन्हें जिला अलॉट किया गया है।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

शीघ्र हीमैपसेट के माध्यम से इस ओर विशेष प्रयास किए जाएँगे।**(कार्यवाई–कलेक्टर, रतलाम)**

1.2.3.2माननीया उपाध्यक्ष महोदया ने मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत शासन से प्राप्त राशि की जानकारी चाही। कलेक्टर महोदया ने बताया कि मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत 44 प्रकरण में रु. 19.80 लाख एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 33 प्रकरणों में रु. 36.50 लाख स्वीकृत किए गए है। इसमें अनुसूचित जनजातियों का विवरण अलग से प्राप्त नही हुआ। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत वर्ष 2017–18 में 19.75 लाख मानव दिवस सृजित करने की योजना है। इस योजना के अंतर्गत दिनॉक 01–04–2017 से 30–05–2017 तक अनुसूचित जनजाति वर्ग के 1,31,839 मानव दिवस सृजित किए गए है तथा जॉब कार्ड धारियों को कार्य दिया गया।

1.2.3.3माननीया उपाध्यक्ष महोदया ने कहा कि जिले में हाई स्कूल में शाला छोड़ने में विद्यार्थियों की संख्या की दर 62.20 प्रतिशत है। जो यह दर्शाती है कि जिले में अनुसूचित जनजातियों के युवा वर्ग में रोजगार एक मुख्य समस्या है।उन्होंने कहा कि ऐसे छात्र जो हाई स्कूल की परीक्षा देने के लिए पुनः सक्षम है उन्हें विशेष कोचिंग दिलाकर परीक्षा दिलवाएँ ताकि वह पुनः शिक्षा की ओर अग्रसर हो सकें। ऐसे विद्यार्थीजिनकी आयु अधिक हो गई है उन्हें मुख्य धारा में पत्राचार से परीक्षा दिलवाकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। जो विद्यार्थी परीक्षा नहीं देना चाहते है उन्हें विभिन्न शासकीय योजनाओं के अंतर्गत किसी कौशल का प्रशिक्षण देकर आर्थिक दृष्टि से उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित किया जाए।**(कार्यवाई कलेक्टर रतलाम)**

1.2.4विकास, खाद्य एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम

माननीयाउपाध्यक्ष महोदया ने रतलाम जिले के विकास, खाद्य एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों की जानकारी चाही।

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के विषय में कलेक्टर महोदया ने बताया कि माह दिसम्बर तक सभी विकासखण्डों में यह कार्य पूर्ण हो जाएगा।

(ii) अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये 16000 आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत हुए थे जिसमें से 3300 आवास बन चुके है। माननीय उपाध्यक्ष महोदया ने पूछा कि इसमें से कितने अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के लिए है। उन्हें जानकारी दी गई कि यह भारत सरकार द्वारा 2011 में किए गए सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत चयनित लोग है जिनमें अनुसूचित जाति अथवा जनजाति का अलग–अलग विवरण नहीं है।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusulya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

(iii)जिले में बिजली की जानकारी माननीय उपाध्यक्ष महोदया द्वारा चाही गई। कलेक्टर द्वारा बताया गया कि 28 बस्तियों हेतु प्रस्ताव भेजा गया था जिसमें रु. 200 करोड़ का व्यय होगा। राशि आवंटित होकर आना शेष है।

(iv)अनुसूचित जनजाति के गाँव/आवासों में शुद्व पेयजल की व्यवस्था के बारे में अधिकारी ने बताया कि गाँव में पेयजल के स्त्रोत कम है। घर–घर पाईपलाईन बिछाकर पेयजल की व्यवस्था पर कार्य चल रहा है। शीघ्र ही जिले में इस समस्या का समाधान हो जाएगा।

(v) लोक वितरण केन्द्रों में चावल, गेहूँ, केरोसिन इत्यादि का वितरण किया जा रहा है।

(vi)जिले के प्रत्येक विकासखण्ड में उप–स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से समस्त गाँवों में स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। आदिवासी बहुल सैलाना एवं बाजना विकासखण्ड में 20 बेड का चिकित्सालय संचालित है।

(vii) कुपोषण को दूर करने के लिए जिले के समस्त विकासखण्डों में पोषण पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की गई हैं जिसमें बच्चों को 14 दिवस तक भर्ती कर उपचार प्रदान किया जाता है। बच्चों को टीकाकरण नियमित रुप से करवाया जा रहा है।

(viii) अनुसूचित जनजाति बहुल निवास स्थानों पर आँगनबाड़ी केन्द्रों में मध्यान्ह भोजन योजना की संख्या 578 है।

(ix)मुक्तिधाम (श्मशान घाट) का कार्य सभी विकासखण्डों में किया जाना है। वर्षा के कारण इस कार्य को करने में विलंब हुआ है। विकासखण्ड सैलाना एवं बाजना में माह अक्टूबर तक 100 प्रतिशत कार्य हो जाएगा।

1.2.5 बाल श्रमिक

माननीया उपाध्यक्ष महोदया ने जिले के बाल श्रमिकों के संबध में जानकारी चाही। कलेक्टर ने बताया कि श्रम उपसंभाग रतलाम में धारा 12 के अंतर्गत वर्ष 2010 में 25 प्रकरण दायर किए गए। वर्ष 2011 में निरंक, 2012 में 9, 2013 में 4, 2014 में 5, 2015 में 1, 2016 में निरंक तथा 2017 में 4 प्रकरण दायर किए गए। बाल श्रमिक पाए जाने पर संबंधित नियोजक के विरुद्व प्रकरण तैयार किए गए एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा नियोजकों पर रु. 10000/– की राशि का अर्थदण्ड लगाया गया।

1.2.6 वनभूमि पट्टा आवंटन

माननीया उपाध्यक्ष महोदया ने वन अधिकार अधिनियम के तहत वन भूमि पटटा आवंटन की स्थिति पूछी। वन–विभाग के अधिकारी ने बताया कि कुल रतलाम जिले में पात्रहितग्राहियों में 3348 व्यक्तिगत हक प्रमाण–पत्र एवं 88 सामुदायिक प्रमाण–पत्र वितरित किए गए है। हक प्रमाण–पत्र का कुल रकबा 1394.296 हैक्टेयर है।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusulya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India

माननीया उपाध्यक्ष महोदया ने कहा कि जिन पात्रहितग्राहियों को किसी कारण से अपना भूमि अधिकार का आवेदन देने में विलंब हुआ है उनके लिए जिले मे पुनः अपील करने के लिए क्या प्रावधान है?

कलेक्टर महोदया ने बताया कि अभी तक हमारे पास ऐसे कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। लघु वन उत्पाद के विषय में आयोग को बताया गया कि वन मंडल रतलाम के अंतर्गत वन क्षेत्र में होने वाली वन उपज तेंदुपत्ता संग्रहण एवं अन्य उत्पादनों का उपयोग संबंधित ग्रामवासियों द्वारा किया जाता है।

माननीया उपाध्यक्ष महोदया ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के विषय में संक्षिप्त जानकारी देते हुए कहा कि आयोग की स्थापना अनुच्छेद 338 में संशोधन करके की गई है। अनुच्छेद 338 क जोड़कर फरवरी 2004 में इसकी स्थापना की गई। आयोग संविधान अथवा प्रचलित कानून अथवा सरकार के किसी आदेश के अधीन अनुसूचित जनजातियों को दिए गए विभिन्न सुरक्षणों का कार्यान्वयन और ऐसे सुरक्षणों के कार्यकरण का मूल्याकंन करता है। आयोग अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भी भाग लेता है तथा किसी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्याकंन भी करता है। अपने इन कार्यो का प्रतिवेदन प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को पेश करता है। मेरा यह दौरा एवं जिला स्तरीय समीक्षा आयोग को दिए गए इन्हीं कार्यो का एक हिस्सा है। मध्यप्रदेश राज्य मेंकिए गए इन दौरों में प्राप्त अनुसूचित जनजाति के विकास की रिपोर्ट पर राज्य स्तरीय बैठक शीघ्र ही की जाएगी जिसमें अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए किए जाने वाले उपायों की समीक्षा एवं उनमें और अधिक गति लाने के लिए एवं प्रभावी कियान्वयन के उपायों की सिफारिश की जाएगी। रतलाम जिले में 25 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के होने के पश्चात भी विकास की दर पिछड़ी हुई है। जिले में बजट समय पर पहुंचने की समस्या है। पिछले 4 वर्ष से सहायक संचालक अनुसूचित जनजाति विकास का पद रिक्त रहा जिससे 25 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति का विकास धीमी गति से हुआ। विभाग के कार्य को देखने के लिए निचले स्तर पर ही अधिकारी थे। यह एक गंभीर समस्या है जिसे शीघ्र ही राज्य शासन के साथ होने वाली बैठक में चर्चा कर उसका समाधान निकाला जाएगा। धन्यवाद प्रस्ताव के बाद समीक्षा बैठक समाप्त हुई।

माननीया उपाध्यक्ष महोदया को विभिन्न अनुसूचित जनजाति संगठनों द्वारा दिए गए आवेदनों का विवरण जिस पर कलेक्टर महोदया द्वारा कार्यवाही की जाना है:–

1. सरपंच, ग्रामपंचायत डेलनपुर, जिला रतलाम द्वारा अनुसूचित जनजाति बस्ती में सी. सी.रोड एवं नाली निर्माण के लिए 10 लाख रुपये की स्वीकृति करने विषयक।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

2. सरपंच, ग्राम पंचायत हरथली, जिला रतलामने बताया कि ग्रामपंचायत हरथली में पेयजल की टंकी का निर्माण 10–15 वर्ष पूर्व हो गया था परतुं आज तक पेयजल टंकी में जल नहीं आता है जिससे पेयजल का संकट दूर नही हुआ।अतः पेयजल टंकी में जल भराई की सुविधा दी जाए।
3. सरपंच, ग्राम पंचायत हरथली, जिला रतलामने बताया कि ग्राम पंचायत हरथली में राजस्व भूमि पर आवासीय मकान बनाए गए है उस भूमि को आबादी भूमि घोषित करने की आवश्यकता है।

2. दिनाँक 25–09–2017 को जिला–मन्दसौर से सबंधित दौरे की रिपोर्ट

माननीया उपाध्यक्ष महोदया ने जिला मन्दसौर के कलेक्टर श्री मनोज सिंह तथा पुलिस अधीक्षक श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव सहित सभी विभागों के प्रमुख अधिकरियों के साथ बैठक ली। माननीया उपाध्यक्ष महोदया ने आयोग के कार्यों के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी। तत्पश्चात जिले में संचालित अनुसूचित जनजातियों की योजनाओं के विषय में चर्चा की। मंदसौर जिले में 3.5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति हैं।

जिला–मंदसौर में कलेक्टर तथा अन्य अधिकारियों के साथ माननीया उपाध्यक्ष

2.1 शिक्षा :

2.1.1 मंदसौर जिले में शिक्षा के विषय में जानकारी लेते हुये माननीया उपाध्यक्ष महोदया ने प्राथमिक स्तर पर नामांकन का प्रतिशत पूछा। शिक्षा अधिकारी ने बताया कि नामांकन 4.00 प्रतिशत है। यह प्रतिशत काफी कम है। माननीया उपाध्यक्ष को बताया कि जिले से रोजगार ढूंढ़ने के लिए निकट राज्य गुजरात में अनुसूचित जनजाति के परिवार चले जाते हैं इसी कारण से शिक्षा लेने हेतु प्राथमिक,माध्यमिक एवं हाई स्कूल में प्रतिशत निम्न स्तर पर है। अनुसूचित जनजातियों के जिले में शाला छोड़ने का प्रतिशत अधिक नहीं है जो यह दर्शाता है कि वे शिक्षा के प्रति गंभीर हैं।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusulya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

जिले में केवल दो हायर सेकण्डरी छात्रावास लड़कों के लिए हैं तथा एक मिडिल छात्रावास लड़कियों के लिए है। वर्ष 2016–17 में अनुसूचित जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति रु. 54. 67 प्राप्त हुई थी। जिसे 383 विद्यर्थियों में वितरित किया गया इसी प्रकार रु.7.68 लाख छात्रावास शिष्यवृत्ति प्राप्त हुई जिसे 100 विद्यार्थियों में वितरित किया गया।

2.1.2माननीया उपाध्यक्ष महोदया ने अनुसूचित जनजातियों के छात्रावासों में बच्चों को दिये जाने वाले गद्दे, चादर, यूनिफॉर्म के बारे में जानकारी चाही। उन्हें बताया गया कि बच्चों को गद्दे नियमित रूप से दिये जाते है। वर्ष में एक बार चादर दी जाती हैं। जब बच्चे छात्रावास छोड़कर जाते हैं तो उनके द्वारा उपयोग किये गये गद्दे एवं चादर उन्हें अपने साथ लेकर जाने की सुविधा दी जाती है। यूनिफॉर्म वर्ष में एक बार दी जाती है जिसका पैसा उनके बैंक अकाउण्ट में डाल दिया जाता है।

जिला–मंदसौर में कलेक्टर तथा अन्य अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय बैठक लेते हुए माननीया उपाध्यक्ष

2.2 भूमि आवास तथा विकास कार्यक्रमः–

माननीया उपाध्यक्ष महोदया ने अनुसूचित जनजातियों को वितरित आवास स्थान पट्टों की संख्या की जानकारी चाही। कलेक्टर महोदय ने बताया कि नगर पालिका मंदसौर तथा नगर परिषत मल्हारगढ़ द्वारा IHSDPआवास योजना के अतंर्गत दो–दो अनुसूचित जनजाति हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है। जिले में वन भूमि संबंधी प्रकरण शून्य हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 796 अनुसूचित जनजातियों को लाभांवित किया गया है। जिले 1.20 लाख शौचालय बनाये गये हैं जिसमें 100 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के आवासों को इस लाभ से पूर्ण किया गया है।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusulya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

2.3रोजगार :–

माननीया उपाध्यक्ष महोदया ने अनुसूचित जनजातियों के शिक्षित बेरोजगारों की स्थिति के बारे में पूछा। रोजगार अधिकारी ने बताया कि जिले में कुल 277 कुशल, 417 अकुशल, 56 कला स्नातक, 16 विज्ञान स्नातक तथा 13 तकनीकी रूप से बेरोजगारों के आवेदन प्राप्त हुये हैं। मुख्यामंत्री रोजगार योजना के बारे में माननीया उपाध्यक्ष महोदया ने पूछा? उन्हें बताया गया कि जिले में योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही नहीं मिलते हैं। जिले में चूंकि अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत अत्यंत कम है तथा वे अपनी भूमि पर कृषि करते है। जिले में अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी है।

2.4अत्याचार से संबंधित :–

जिला मंदसौर में अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन दर्ज प्रकरणों की अद्यतन स्थिति माननीया उपाध्यक्ष महोदया ने पूछी। पुलिस अधीक्षक, मंदसौर ने बताया कि जिले में वर्ष 2017 में कुल 10 प्रकरण पंजीबद्ध हुये जिसमें से 9 मामलों का निराकरण कर चालान न्यायालय में पेश किया गया। इन 9 मामलों में 3 प्रकरण छेड़छाड़ के थे एवं 6 प्रकरण मारपीट के थे। पुलिस अधीक्षक ने आयोग को यह भी बताया कि वर्तमान में जिले में अनुसूचित जाति जनजाति थाना में डीएसपी पदस्थ नहीं होने से, महिला प्रकोष्ठ के पुलिस अधिकारी के द्वारा ही इस थाने का कार्यभार देखा जा रहा है। धन्यवाद प्रस्ताव के बाद बैठक समाप्त हुई।

3. दिनाँक 26–09–2017 को जिला–नीमच से सबंधित दौरे की रिपोर्ट

दिनॉक 26–09–2017 को प्रातः सर्किट हाउस नीमच में अनुसूचित जनजाति के विभिन्न संगठन माननीया उपाध्यक्ष महोदया से मिले। उन्होंने जिले में अनुसूचित जनजातियों के विकास की वस्तुस्थिति से महोदया को अवगत कराया। मुख्यतः दो प्रकरण सामने आए। रतनगढ़ जिला नीमच में एक अनुसूचित जनजाति की महिला के शव को जलाने के लिए लकड़ियां उपलब्ध नहीं हो पाई। दूसरा प्रकरण जीरन गांव में देवकिशन पिता नाथूलाल भील का शव कुएँ से मिलने के पश्चात पुलिस द्वारा उस पर प्रकरण दर्ज नहीं करने के सबंध में बताया गया।शिकायतकर्ताओं का कहना है कि देव किशन का झगड़ा हुआ था और उसी रात वह कुएँ में मरा हुआ पाया गया। माननीया उपाध्यक्ष महोदया ने कहा कि इन दोनों प्रकरणों पर वे कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक से चर्चा करेंगी।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

जिला–नीमच में जनप्रतिनिधियों के साथ माननीया उपध्यक्ष महोदया की सौजन्य भेंट

3.1 शासकीय प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास जावद जिला नीमच का निरीक्षण

शासकीय प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास, जावद, जिला नीमच का माननीया उपाध्यक्ष द्वारा निरीक्षण

जिला रतलाम से लगभग 20 किमी. दूर जावद में 1 प्री मैट्रिक बालक छात्रावास है। लगभग 10.30 बजे उपाध्यक्ष महोदया के नेतृत्व में आयोग का दल छात्रावास पहुँचा। माननीया उपाध्यक्ष महोदया ने छात्रों से पूछा कि उन्हें नाश्ते/भोजन में क्या क्या मिलता है ? छात्रों ने बताया कि सुबह नाश्ते में पोहा, दोपहर भोजन में दाल, चावल, रोटी, सायंकाल में चाय तथा रात्रि के भोजन में हरी सब्जी, दाल–रोटी मिलती है। सभी छात्रों ने बताया कि उन्हें वर्तमान में रु.1090 की छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। जिसमें से 10 प्रतिशत उनके बैंक खाते में जमा कर दिया जाता है।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

शासकीय प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास,जावद, जिला नीमच के छात्र

माननीया उपाध्यक्ष महोदया ने उनसे छात्रावास में मिलने वाले बिस्तर, चादर, यूनिफार्म के बारे में पूछा। छात्रों ने बताया कि उन्हें इस वर्ष यूनिफार्म नहीं मिली है। छात्रावास अधीक्षक ने बताया कि इस वर्ष अभी तक यूनिफार्म हेतु स्वीकृत राशि प्राप्त नहीं हुई है जिसके कारण छात्रों को यूनिफार्म वितरित नहीं की जा सकी। छात्रावास 50 सीटर है जिसमें 1 ही कम्प्यूटर उपलब्ध है। कम्प्यूटर अथवा कोचिंग हेतु किसी अध्यापक की नियुक्ति नहीं की गई है। छात्रावास में लाइब्रेरी नहीं है, खेलकूद का सामान– जैसे फुटबाल, बैडमिंटन, क्रिकेट आदि के किट उपलब्ध नहीं है। छात्रावास में सामग्री क्रय करने के लिए पालक समिति का गठन किया गया है। छात्रावास अधीक्षक ने बताया कि छात्रावास के चारों ओर बाउंड्रीबॉल बनवाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है किन्तु जनपद अधिकारी जावद एस्टीमेट नहीं दे रहे है। छात्रावास में पानी की भी समस्या है। छात्रों ने मांग की कि छात्रावास में एक ट्यूबवेल हेतु राशि की स्वीकृति करवाई जाए। छात्रावास में नियमित रुप से न्यूजपेपर के 3 सेट आते है एवं भोजन बनाने के लिए 3 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है।माननीया उपाध्यक्ष महोदया ने छात्रों को आश्वासन दिया कि वे छात्रावास की समस्या से बैठक में जिला अधिकारी से चर्चा करेंगी जिन्हें शीघ्र ही दूर किया जाएगा।

3.2 जिला–नीमच में कलेक्टर एवं प्रमुख जिला–अधिकारियों के साथ की गई समीक्षा बैठक का विवरण :

जिला नीमच में माननीया उपाध्यक्ष महोदया ने जिला अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के साथ प्रातः 11 बजे बैठक किए जाने का पूर्व में जिला शासन को भेज दिया था जिला

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

शासकीय प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास,
जावद, जिला नीमच के छात्रावास अधीक्षक, कर्मचारी तथा छात्रों के साथ माननीया उपाध्यक्ष तथा आयोग दल

प्रशासन की ओर से माननीया उपाध्यक्ष महोदया को बताया कि जिले के कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह निजी आवश्यक कार्य के कारण जिले में उपस्थित नही हैं। श्री टी.के. विद्यार्थी पुलिस अधीक्षक नीमच ने माननीया उपाध्यक्ष महोदया से सर्किट हाउस नीमच में औपचारिक भेंट की तथा उन्होंने बताया कि नीमच में 2 अजाक थाने में थाना प्रभारी की नियुक्ति नहीं है।

जिला–नीमच में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक लेते हुए माननीया उपाध्यक्ष

माननीया उपाध्यक्ष महोदया ने दिनांक 26–09–2017 को लगभग 12:00 बजे जिला पंचायत कार्यालय के बैठक हॉल में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक ली।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusulya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

बैठक के आरंभ में जिला प्रशासन द्वारा नियुक्त अतिक्ति जिला अधिकारी श्री विनय कुमार धोका ने माननीया उपाध्यक्ष महोदया का स्वागत किया तथा सभी अधिकारियों ने अपना परिचय दिया। नीमच जिलें में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 9.5 प्रतिशत है। तत्पश्चात माननीया उपाध्यक्ष महोदया द्वारा दिए गए निर्देशानुसार श्रीमती के.डी.बंसौर निदेशक ने आयोग की संक्षिप्त जानकारी दी। श्रीमती के.डी.बंसौर निदेशकद्वारा बताया गया कि आयोग अनुसूचित जनजातियों के कार्यो के लिए संविधान में दिए गए अधिकारों के लिए सरकार के किसी आदेश के अधीन उपबंधित सुरक्षणों से सबंधित विषयों का अन्वेषण और अनुवीक्षण करता है तथा ऐसे सुरक्षणों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन भी करता है। उन्होंने अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और सुरक्षणों से वंचित करने से सबंधित विर्निदिष्ट शिकायतों की जाँच करने के सबंध में आयोग के कार्यो की चर्चा की। उन्होंने यह भी बताया कि अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक योजना प्रकिया में भाग लेना और सलाह देना तथा राज्य के अधीन उनके विकास में प्रगति का मूल्यांकन करना भी आयोग के कर्त्तव्यों में शामिल है। उन्होंने आयोग की शक्तियों का संक्षिप्त वर्णन करते हुए कहा कि किसी शिकायत की जाँच करते समय आयोग को दीवानी अदालत की वे शक्तियाँ प्राप्त है जो किसी मुकदमें के चलाने के लिए प्राप्त होती है। आयोग भारत के किसी भी भाग से किसी भी व्यक्ति को "सम्मन" जारी करने और उसे हाजिर हेतु बाध्य करने की शक्ति रखता है। माननीया उपाध्यक्ष महोदया ने अतिरिक्त जिला अधिकारी से बैठक के बिंदुओं पर चर्चा करते हुए शिक्षा विभाग से संबंधित जानकारी चाही।

3.2.1 शिक्षा :–

3.2.1.1 जिला संयोजक अनसूचित जनजाति कल्याण नीमच ने बताया कि नीमच जिले में नामांकन का प्रतिशत प्राथमिक स्तरपर तथा माध्यमिक स्तर पर क्रमशः 95 एवं 92 प्रतिशत है।

जिला–नीमच में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

शाला छोड़ने का प्रतिशत प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर तथा हाईस्कूल स्तर पर कमशः 5 प्रतिशत, 8 प्रतिशत तथा 9 प्रतिशत है। जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा लड़के व लड़कियों हेतु छात्रावासों की संख्या कमशः 4 तथा 2 है जिसमें स्वीकृत सीटों की संख्या कमशः 200 व 100 है। कुल 1 आश्रम शाला है जिसमें 50 सीटें अध्यासित है। जिले में स्नातक, परास्नातक छात्रावास नहीं हैं। माननीया उपाध्यक्ष महोदया नेछात्रवृत्ति राशि को समय से वितरित किए जाने के विषय में पूछा। जिला संयोजक अनसूचित जनजाति कल्याण नीमच ने बताया कि जिला स्तर पर नोडल प्राचार्यों की बैठक आयोजित कर समय–सीमा में छात्रवृत्ति वितरण हेतु निर्देश दिए जाते है। ई–पोर्टल पर छात्रवृत्ति के प्राप्त आवदेनों को परीक्षण, नोडल प्राचार्यो से करवाने के उपरांत जिला समिति से आवदेनों का परीक्षण करवाया जाता है। तत्पश्चात ऑनलाईन स्वीकृति जारी की जाती है और छात्रवृत्ति का वितरण किया जाता है। जागरुकता हेतु समय–समय पर प्रेस नोट समाचार–पत्रों में प्रकाशित किया जाता है। माननीया उपाध्यक्ष महोदया ने शासकीय प्री मैटिक छात्रावास जावद में किए गए निरीक्षण के पश्चात प्राप्त शिकायतों की चर्चा की। उन्होने बताया कि छात्रावास में कम्प्यूटर एवं लायब्रेरी का अभाव है। छात्रावास में 50 छात्रों के मध्य केवल 1 कम्प्यूटर दिया गया है। बच्चों को खेलने कूदने हेतु मैदान का अभाव है। विद्यार्थी छात्रावास से दूर 1 मैदान में खेलने जाते हैं। खेलने के लिए पर्याप्त सामग्री भी नहीं है। फुटबॉल, बैडमिंटन एवं क्रिकेट किट की मांग छात्रों ने रखी है। माननीया उपाध्यक्ष महोदया ने यह भी बताया कि छात्रावास के चारों ओर बाउंड्रीवॉल हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाना आपकी ओर से अपेक्षित है। छात्रावास में पानी की भी समस्या है। समस्या के निवारण हेतु 1 ट्यूबवेल की आवश्यकता है। **(कार्यवाई–कलेक्टर, नीमच)**

3.2.1.2माननीया उपाध्यक्ष महोदया ने कहा कि जिलें में स्नातक/परास्नातक के छात्रावास नही हैं। वे छात्र जो उच्चस्तरीय की शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्रावास पर निर्भर होते है वेकहाँ जाएंगे ?अपर कलेक्टर ने बताया कि स्नातक/परास्नातक के 3 छात्रावास के प्रस्ताव प्रशासन स्तर पर राज्य शासन भेजे गए हैं। माननीया उपाध्यक्ष महोदया ने पूछा कि मुझे ज्ञात हुआ है कि कुकड़ेश्वर में छात्रावास की बिल्डिंग स्वीकृत हो गई है किंतु आज तक उसका निर्माण आरंभ नही हुआ है। अपर कलेक्टर ने बताया कि बिल्डिंग के निर्माण हेतु टेंडर हुआ था लेकिन स्थानीय रहवासी चाह रहे है कि जिस भूमि पर छात्रावास की बिल्डिंग पर निर्माण होना है वह दशहरा मैदान है,इसलिए इस भूमि पर छात्रावास का निर्माण न हो। अतः इस विवाद के कारण बिल्डिंग का निर्माण आरंभ नही हो सका। वर्तमान में कुकड़ेश्वर में प्राथमिक शाला की 1 बिल्डिग खाली है उसी भूमि पर छात्रावास बनाए जाने का पुनः प्रस्ताव रखा गया है जिसे राज्य शासन से स्वीकृत करवाना होगा। माननीया उपाध्यक्ष महोदया ने छात्रावास के शीघ्र निर्माण किए जाने के निर्देश दिए। **(कार्यवाई–कलेक्टर, नीमच)**

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusulya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

3.2.2कृषिः–

माननीया उपाध्यक्ष महोदया ने नीमच जिले में अनुसूचित जनजाति वर्ग में कृषि सबंधी जानकारी चाही। उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने बताया कि जिले मेंकुल अनुसूचित जनजाति वर्ग के 7203 किसान हैं। जिले में मुख्यतः सोयाबीन, मक्का, उड़द, गेहूं, सरसों एवं चना की फसलें ली जाती है। कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से उन्नत पद्वतियॉ अपनाई जा रही है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति के युवा कृषकों को कौशल विकास प्रशिक्षण के अंतर्गत मधुमक्खी पालन, पशु पालन, मत्स्य पालन, केचुआ खाद बनाने एवं कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन इकाई की स्थापना हेतु प्रेरक प्रशिक्षण तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके। उन्होंने बताया कि दलपतपुरा आदि गॉव में 20–30 लोगों को समूह बनाकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है इसके अतिरिक्त नीम अर्क, नीम केक, धतूरा अर्क बनाकर उसे कीटनाशक की भॉति उपयोग में लाया जाता है। नीमच जिले में बीज समितियॉ भी बना रहे हैं ताकि किसान स्वयं बीज निर्माण कर सकें।

3.2.3 रोजगारः–

3.2.3.1माननीया उपाध्यक्ष महोदया ने जिले में अनुसूचित जनजातियों के मध्य रोजगार की स्थिति चाही। रोजगार अधिकारी ने बताया कि जिले में शिक्षित बेराजगार 729 हैं जिनमें 610 पुरुष 119 महिलाएँ हैं। कुशल बेराजगार 29 एवं अकुशल 600, कलास्नातक 38, विज्ञान स्नातक 7, डॉक्टर्स 3 तथा तकनीकी रुप से 7 अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग है। जिले में मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से विभिन्न स्वरोजगार योजना के अंतर्गत स्वयं का रोजगार स्थापित करने हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2015–16 में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 130इकाई का लक्ष्य रखा गया था। जिसमें 143 इकाई की उपलब्धि प्राप्त हुई। वर्ष 2016–17 में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना तथा मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में कमशः 220 एवं 130 का लक्ष्य रखा गया जिसमें कमशः 232 एवं 131 की उपलब्धि प्राप्त हुई।

3.2.3.2माननीया उपाध्यक्ष महोदया ने कहा कि मुझे ज्ञात हुआ है कि बैंकों के माध्यम से दिए जाने वाले ऋण को मना कर दिया जाता है। ऐसे लगभग 50 मामले नीमच जिले में लंबित है। जिला स्तर से अनुमोदित ऋण को देने के लिए बैंक की जिम्मेदारी है कि ऋण स्वीकृत करें। कलेक्टर, बैंक के अधिकारियों को निर्देशित करें कि वह अनुमोदित ऋण को शीघ्र ही वितरित करें। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में जिला स्तर अधिकारियों से कहा कि यदि वे बैंकों से ऋण दिलवाने में अक्षम है तो आयोग के संज्ञान में लाएँ ताकि आयोग अपने स्तर पर सीधे बैंक को लिख सके। **(कार्यवाई–कलेक्टर, नीमच)**

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusulya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

3.2.3.3माननीया उपाध्यक्ष महोदया ने महिला स्वायत्तता समूह की जानकारी चाही। जिला महिला बाल विकास अधिकारी ने बताया कि जिले में स्वयं सेवी संस्थाएँ कार्य कर रही हैं जो अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की आजीविका में वृद्वि के माध्यम से पारिवारिक आय में मदद करती है ओर वित्तीय तथा सरकारी सेवाओं तक उनकी पहुँच बढ़ाती है। इनका उददेश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर कर नवीन संस्थाएँ सृजित करना है। स्वयं सहायता समूह ने आर्थिक आजादी तथा सामाजिक सशक्तिकरण के लिए जमीनी कार्य की नींव रखी है।जिसका उद्देश्य सदस्यों की मजबूती से उनकी क्षमता का निर्माण कर उन्हें आत्मनिर्भर करना है। जिसके पांच सूत्र है। 1. नियमित बैठक 2. नियमित बचत 3. आपस में नियमित रुप से उधारी 4. नियमित रुप से चुकता करना 5. समुचित रुप से लेखाबही रखना है। अनुसूचित जनजाति के लिए एनआरएल योजनांतर्गत स्वयं सहायता समूह द्वारा दोना–पत्तल, मसाला, दाल तथा अगरबत्ती का निर्माण किया जा रहा है। अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह एवं उनकी गतिविधियां 578 है।

3.2.3.4दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में गरीब ग्रामीण युवाओं को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर एवं वैश्विक स्तर पर परिवर्तन करने का विजन बनाया है। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनातंर्गत शासन से प्राप्त लक्ष्य अनुरुप बैंकों को प्रस्तुत प्रकरणों में से अनुसूचित जनजाति के शत–प्रतिशत प्रकरण स्वीकृत किए गए। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना अंतर्गत 44 प्रकरण राशि रु 19.80 लाख एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनांतर्गत राशि रु. 36.50 लाख स्वीकृत किए गए।

3.2.3.5महात्मा गांधी नरेगा योजना में वर्ष 2017–18 हेतु 19.75 लाख मानव दिवस सृजन करने की योजना है। जिसके अंतर्गत 31508 अनुसूचित जनजाति परिवारों का पंजीयन किया जाकर जॉब कार्ड प्रदान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में दिनांक 01–04–2017 से 30–05–2017 तक अनुसूचित जनजाति वर्ग के 1,31,839 मानव दिवस सृजित किए गए हैं।

3.2.4 विकास, खाद्य एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम

3.2.4.1माननीया उपाध्यक्ष महोदया ने जिले में विकास, खाद्य एवं स्वास्थ्य सबंधी जानकारी चाही। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नीमच ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 210 आवास अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को दिए गए। जिला पंचायत द्वारा निर्मित आवासों की संख्या 1464 है। सभी गांवों में शौचालय की व्यवस्था की जा चुकी है। अनुसूचित जनजातियों के कुल 8051 आवासों का निर्माण किया गया है। जिला सहकारिता विभाग ने बताया कि अनुसूचित जनजातियों के लिए ग्रामीण आवास समितियाँ नहीं हैं।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

3.2.4.2गाँव/आवासीय कॉलोनियों में संपर्क मार्ग हेतु मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं सुदूर ग्राम संपर्क सड़क योजना (मनरेगा)के अंतर्गत निर्माण कार्य प्रस्तावित है।

3.2.4.3जनपद पंचायत नीमच के सभी 187 गांव और 15 मजरे टोलो में स्ट्रीट लाईट की सुविधा ग्राम पंचायतों द्वारा की गई है। उन्होने यह भी बताया कि सड़क बत्ती के कार्य सबंधित नगरीय प्रशासन/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संपादित कराए जाते है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा गांवों/आवासों मे स्ट्रीट लाईट नही होने की सूची उपलब्ध होने पर उन गांवों का सर्वे करवाकर प्राक्कलन तैयार किया जाता है तथा आवश्यक कार्यवाही की जाती है।माननीया उपाध्यक्ष महोदया नेसिंचाई के कुएँ में पम्प इलेक्ट्रीफिकेशन की जानकारी चाही। अधिकारी ने बताया कि कुएँ के स्थायी प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर प्राक्कलन बनाया जाता है। जिले में पम्प इलेक्ट्रीफिकेशन के प्रकरणों पर कार्य किया जाना शेष है।

3.2.4.4मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नीमच, ने बताया कि सभी गांवों/आवासों में शुद्व पेयजल हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा नल–जल योजना एवं हैंडपंप से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। जिले के सभी गांव/आवासों में परिवारकार्ड उपलब्ध है। पीडीएस के अधीन उचित मूल्य की दुकानें उपलब्ध है। लोक वितरण केन्द्रों से आवश्यक सामगी जैसे चावल, गेहूं,केरोसिन इत्यादि प्राप्त हो रहे है।

3.2.4.5जिला चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जिले के प्रत्येक विकासखण्ड में उपस्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही है। जिले में चिकित्सक श्रेणी –1, चिकित्सक श्रेणी–2 के कमशः 50 व 57 पदों में से केवल 12 और 35 पदों पर चिकित्सक कार्यरत हैं। 38 पदचिकित्सक श्रेणी–1 तथा 22 चिकित्सक श्रेणी–2 के रिक्त हैं। इस विषय में शासन की ओर से राज्य शासन को पत्र भेजा जा चुका है। जिलें में मलेरिया की रोकथाम हेतु भी कार्यकम संचालित किए जा रहे हैं।जिले में अनुसूचित जनजातियों के मध्य कोई संक्रामक बीमारी अथवा कुपोषण नहीं है। न ही इनसे कोई मौत हुई है। कुपोषण को दूर करने के लिए समस्त विकासखण्डों में पोषण पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की गई हैं जिसमें बच्चों को 14 दिवस भर्ती कर उपचार प्रदान किया जाता है।

3.2.4.6जिला कार्यकम अधिकारी एकीकृत विकास ने बताया कि जिले में इन योजनाओं से लाभान्वित हो रहे बच्चों की संख्या 7776 है। अनुसूचित जनजातियों के आवासीय क्षेत्रों में कुल 1112 आंगनबाड़ी केन्द्र मध्याह्न भोजन योजनाएं संचालित है । सभी अनुसूचित जनजाति आवासों में मोक्षधाम है।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

3.2.4.7माननीया उपाध्यक्ष महोदया ने बताया कि मुझे जानकारी मिली है कि रतनगढ़ जिला नीमच में एक अनुसूचित जनजाति की महिला के शव के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां उपलब्ध नहीं हो पाई। यह अत्यन्त ही असंवेदनशील कृत्य है। किसी गरीब आदिवासी महिला के शव के अंतिम संस्कार के लिए प्रशासन की ओर से राहत राशि देकर उचित कार्यवाही की जाना अपेक्षित थी। जिला संचालक आदिम जाति कल्याण ने कहा कि इस प्रकरण की जानकारी से मैं अवगत नहीं हूँ। भविष्य में इस प्रकार की शिकायत नहीं प्राप्त होगी।

3.2.5 बाल श्रमिक:–

माननीया उपाध्यक्ष महोदया नेश्रम पदाधिकारी, श्रम उपसंभाग, नीमच,से बाल श्रमिकों की जानकारी चाही। श्रम पदाधिकारी ने बताया कि वर्ष 2016 तथा 2017 में कोई भी प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है।

3.2.6 **अत्याचार से संबंधित :–**

माननीया उपाध्यक्ष महोदया नेअत्याचार से संबंधित जानकारी देने को कहा। पुलिस विभाग की ओर से बताया गया कि वर्ष 2017–18 में 6 प्रकरण दर्ज हुए है। जिनमें पी.ओ एक्ट लगा है। अधिकतर प्रकरण मारपीट के ही है जिनमें राहत राशि प्रदान कर दी गई है। माननीया उपाध्यक्ष महोदया ने कहा कि आयोग को पिछले 3 वर्ष में दर्ज प्रकरणों का विवरण उपलब्ध करावें। दूसरा प्रकरण जीरन गांव में देवकिशन पिता नाथूलाल भील का शव कुएँ से मिलने के पश्चात पुलिस द्वारा उस पर प्रकरण दर्ज नहीं करने के सबंध में बताया गया। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि देव किशन का झगड़ा हुआ था और उसी रात वह कुएँ में मरा हुआ पाया गया। उप पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया कि वे प्रकरण की जाँच कर आवश्यक कार्यवाही करेंगे। **(कार्यवाई–पुलिस अधीक्षक)**

3.2.7 वनभूमि पट्टा आवंटन:–

माननीया उपाध्यक्ष महोदया ने वन भूमि दावा प्रकरणों की जानकारी चाही। जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण ने बताया कि विभाग की ओर से ग्राम सभा से जानकारी ली जा रही है किंतु अभी तक उनके पास वन भूमि अधिकार के अंतर्गत के दावा प्रकरण प्राप्त नहीं हुए हैं। माननीया उपाध्यक्ष महोदया ने वन उपज संग्रहण से सबंधित जानकारी चाही किंतु वन विभाग की ओर से कोई अधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं हुआ था।

माननीया उपाध्यक्ष महोदया ने बैठक के अंत में कहा कि नीमच जिले में वह पहली बार आई हैं और स्थानीय अनुसूचित जनजातियों की स्थिति को देखते हुए ज्ञात हुआ है कि इनमें जागरुकता की कमी है, जिसके कारण वें शासकीय योजनाओं का समुचित लाभ नही ले पाते हैं।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusulya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अनुसूचित जनजातियों के हित संरक्षण की दिशा में केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा पारित व प्रचलित नियम/विधान/ कानून व उपायों का लाभ शिक्षित आदिवासी समुदाय नहींले पा रहा है जबकि निरक्षर व कम पढ़े–लिखे आदिवासी समुदाय इन लाभों की अज्ञानता व जागरुकता के अभाव में वंचित रह जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी अधिनियम या कानून तब तक अनुसूचित जनजातियों को लाभ नही दे सकता जब तक उसके कियान्वयन में संलग्न अधिकारियों के भीतर मानवीय संवेदना का बिंदु सम्मिलित नही होता। अतः मेरा यह आग्रह है कि आप सभी मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए अपने कार्यक्षेत्र में संलग्न रहें तो अवश्य अनुसूचित जनजातियों की स्थिति में सुधार होगा।अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि माननीया उपाध्यक्ष महोदया द्वारा सुझावों/मार्गदर्शन का वे पालन करेंगे। धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक का समापन हुआ।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi